रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०. डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 23 जनवरी, 2016 ई० (माघ 3, 1937 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज–पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण–पत्र, जन्म–मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार–भाव, सूचना, विज्ञापन अत्यादि।

कार्यालय, नगर पांचायत, इगलास (अलीगढ़)

11 जनवरी, 2016 ई0

सं0 69/न0पं0इ0/2015–16–उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 298 तथा उसके साथ अंकित सूची 11 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके तथा बोर्ड की बैठक दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 के प्रस्ताव संख्या 2 के निर्णय अनुसार नगर पंचायत, इंगलास, जनपद अलीगढ़ जिस उपविधि बनाने का प्रस्ताव करती है, उसका प्रकाशन दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 को "दैनिक अमर उजाला" समाचार पत्र में करा दिया गया है। जिसके अनुसार निर्धारित समय सीमा में कोई आपत्तिया प्राप्त नहीं हुई है। उपविधि का अन्तिम प्रकाशन हेतु बोर्ड की बैठक दिनांक 08 जनवरी, 2016 को प्रस्ताव संख्या 3 पारित किया है। जिसके अनुसार उक्त उपविधि का नगर पंचायत इगलास अन्तिम राष्ट्रीय प्रकाशन निम्न प्रकार करती है–

उपविधि–2014

1– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह उपविधि नगर पंचायत इगलास, अलीगढ़ की टावर स्थापना नियन्त्रण एवं विनियम उपविधि, 2014 कही जायेगी।

(2) नगर पंचायत इगलास, अलीगढ़ की सीमा में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2– परिभाषायें–(1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में अधिनियम से तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम 1916 से है;

(दो) टावर से तात्पर्य रेडियो, दूरदर्शन, मोबाइल फोन अन्य फोन या दूरसंचार सम्बन्धी माध्यमों के संकेतक या रश्मिया भेजने और संयोजन तथा संवाहकता स्थापित रखने हेतु निर्मित ऊंची संरचना से है;

(तीन) सेवा प्रदाता से तात्पर्य किसी कम्पनी उसके कर्मचारी, अभिकर्ता, अनुज्ञापी संविदा कर्ता या अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से है जिसके द्वारा अथवा निर्देशन अथवा परिवेक्षण में टावर लगाया जाना प्रस्तावित हो या लगाया गया हो;

(चार) भवन के अन्तर्गत मकान, घर के बाहर के कक्ष झोपड़ी या अन्य घिरा हुआ स्थान या टांचा है चाहे वह पत्थर, ईंट, लकड़ी, मिट्टी, धातु या किसी अन्य वस्तु से बना हो और चाहे व मनुष्यों को रहने के लिए या

उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद
UTTAR PRADESH STATE OPEN SCHOOL BOARD

राज्य में व्यापार शैक्षिणिक सुधार एवं प्रगति के बाद भी काफी संख्या में बालक/बालिकाएं एवं वयस्क, कतिपय सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से विद्यालयी शिक्षा को मुख्य धारा से बाहर है। ऐसे सभी शिक्षा से वंचित लोगों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु ''दूरस्थ एवं मुक्त विद्यालयी शिक्षण प्रणाली'' के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में पहली बार एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में "उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद (UTTAR PRADESH STATE OPEN SCHOOL BOARD) की स्थापना आई0टी0 ऐक्ट, 1882 द्वारा पंजीकृत संख्या 1433 दिनांक 08 नवम्बर 2012 को किया गया है।

यह परीक्षा बोर्ड औपाचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रणाली के समुतुल्य विद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान करता है। इसके द्वारा निर्गत मुक्त बेसिक शिक्षा (ओ0बी0ई) (आठवीं), माध्यमिक शिक्षा (दसवीं), उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (बारहवीं), के प्रमाण–पत्र अन्य औपचारिक शिक्षा बोर्डों जैसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) भारतीय विद्यालय प्रमाण–पत्र परीक्षा परिषद (ICSE) माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान नोएडा (NIOS) एवं अन्य बोर्डों के समतुल्य होंगे।

उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद के संस्थापन प्रलेख तथा नियम एवं कानून संशोधित, 1 जनवरी, शुक्रवार, सन् 2016

संस्थान/बोर्ड का नाम – उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद (UTTAR PRADESHSTATE OPEN SCHOOL BOARD)
पंजीकृत कार्यालय – नगर के पास बारी रोड, गौराबादशाहपुर, जौनपुर, उ0प्र0–222133
प्रशासनिक कार्यालय – डी0एस0 कालोनी, 456, सेक्टर सी, सीतापुर रोड योजना, जानकीपुरम्, कुर्सी रोड, साबौली, अलीगंज, लखनऊ, उ0प्र0–226021
official Website : www.upsos.ac.in

उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय की दिनांक 01 जनवरी, 2016 की हुई मीटिंग में निर्णय लिया गया कि राज्य में काफी संख्या में बालक/बालिकाओं एवं अन्य वयस्क औपचारिक शिक्षा की मुक्त धारा से कतिपय सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से बाहर हैं, ऐसे सभी शिक्षा से वंचित लोगों को शिक्षा की मुक्त धारा से जोड़ने के लिए "उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद" (UTTAR PRADESH STATE OPEN SCHOOL BOARD) अहम भूमिका निभायेगा।

यह बोड अन्य औपचारिक विद्यालयी शिक्षा बोर्डों के समतुल्य होगा। एवं मुक्त बेसिक (ओ0बी0ई0) (आठवीं) माध्यमिक शिक्षा (दसवीं), उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (बारहवीं), "मुक्त एवं दूरस्थ विद्यालयी प्रणाली" के माध्यम से प्रदान करेगा। इसके माध्यम से आवेदकों का सामान्य शिक्षा के विषयों में नामांकन किया जायेगा।

इन विषयों में शिक्षण–प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद यह बोर्ड उनकी परीक्षा लेगा एवं मूल्यांकन के पश्चात् छात्र/छात्राओं कों प्रमाण–पत्र निर्गत करने का कार्य करेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय एसोसिएशन में अध्यक्ष, सामान्य निकाय, कार्यकारी बोर्ड होंगे। सोसाइटी के प्राधिकार एवं समितियां भी होंगी। सामान्य निकाय के सदस्यों में मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, प्रधान सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश शिक्षा परियोजना परिषद उत्तर प्रदेश, सरकार द्वारा नामित एवं शिक्षाविद् निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा आदि होंगे। सदस्यता की शर्तें भी निर्धारित की गई है।

सामानय निकाय अन्य कार्यों के अलावा सोसाइटी को सलाह देगा एवं वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन की जांच भी करेगा। सोसाइटी का एक कार्यकारी बोर्ड भी होगा जिसमें मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अध्यक्ष एवं सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय के सदस्य सचिव होंगे। राज्य परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश शिक्षा परियोजना परिषद एवं राज्य परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद आदि इसके सदस्य होंगे। सामान्तया कार्यकारी बोर्ड में सोसाइटी की सभी शक्तियां नीति निर्धारण सहित निहित होगी जो इसके कार्यों को करने और इसे सूचारू एवं प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक हों। हालाकि यह अपने शक्तियों का प्रयोग इसके मिशन, कार्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामान्य निकाय से समय–समय पर प्राप्त सलाह के आधार पर करेगी। मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों के दायित्वों का भी निर्धारण किया गया है।

बोर्ड के उचित खातों एवं अन्य संबंधित रिकार्ड संधारित करेगी तथा रिसीप्ट पेमेंट एकाउन्ट, देनदारी, परिसम्पत्तियों के वक्व्यत जैसा कि सरकार निर्धारित करें, वार्षिक लेखा के लिये तैयार करेगी।

बोर्ड के विघटन की स्थिति में आई0टी0 पंजीकरण अधिनियम, 1882 की घारा के प्रावधान के अनुसार विघटन, सरकार के समक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति से होगा एवं विघटन के पश्चात बोर्ड की परिसम्पत्तियां एवं देनदारियां राज्य सरकार में समाउहित हो जायेंगी।

आई0टी0 पंजीकरण अधिनियम, 1882 के अन्दर सभी उपलब्ध जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अन्दर लागू होते है इस बोर्ड पर लागू होंगे।

उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद के ज्ञापन में बोर्ड के लक्ष्य, उद्देश्य एवं कार्यों की परिधि परिभाषित की गई है। बोर्ड सामान्य, सतत् शिखा के विकास के लिये पाठ्क्रमों को प्रस्तावित करेगा जो स्नातक स्तर के नीचे (सर्टिफिकेट/डिप्लोमा) के स्तर तक का प्रमाण–पत्र दे। बोर्ड मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं मुक्त शिक्षण के क्षेत्र में शोध, नवाचार एवं प्रयोग की जिम्मेदारी लेगा तथा प्रमाणित नवाचार गतिविधियों को उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों में प्रसारित करेगा। यह छात्रों के पंजीकरण, परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता परीक्षा में उनकी उपस्थिति, परीक्षा का संचालन क्रेडिट ट्रांसफर एवं बोर्ड के शिक्षण, परीक्षा तथा प्रमाण–पत्र देने का कार्य के संचालन के लिए बोर्ड में इन कार्यों की पूर्ति हेतु अनुकूल एवं आवश्यक नियमों एवं शर्तों का निर्धारण करना एवं विहित करने के अलावा अन्य कार्य भी करेगा।

प्रारम्भिक "शिक्षण प्रशिक्षण" –

पाठ्यक्रम यह पाठ्यक्रम उच्च माध्यमिक कक्षा उत्तीर्ण, बालक/बालिकाओं एवं वयस्कों को, प्राथमिक शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित करने हेतु चलाया जायेगा। इसके अन्तर्गत स्नातक स्तर (B.E.D) से नीचे, डिप्लोमा स्तर (D.EL.ED.) का शिक्षक प्रशिक्षण देने के पश्चात् सार्वजनिक परीक्षा के बाद प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदान की गयी शिक्षा व पाठ्यक्रम एवं प्रमाण–पत्रों की मान्यता, अन्य सरकारी/अर्द्धसरकारी परिषदों/बोर्डों/काउन्सिलों/विश्वविद्यालयों की शिक्षा पाठ्यक्रमों परीक्षाओं के प्रमाण–पत्रों/उपाधियों की मान्यता के समतूल्य होगी।

उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद के प्रमाण–पत्र/उपाधियों की मान्यता अग्रिम शिक्षा में प्रवेश एवं सरकारी सेवा में मान्य होगी।

माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय के पदेन सभापति होंगे। अन्य सदस्यों के प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास एवं वित्त विभाग, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शिक्षा परियोजना परिषद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, एन0सी0ई0आर0टी उत्तर प्रदेश राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड कुलपति, राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, कुलपति पूर्वांचल विश्वविद्यालय, कुलपति लखनऊ, विश्वविद्यालय।

राजमन गोड़,
अध्यक्ष/निदेशक
उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद
UTTAR PRADESHSTATE OPEN SCHOOL BOARD